न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
105/2015	05.10.2015	03.02.2022

अनवान

1. सोहनलाल पिता रामलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेवलिया कलां तहसील भदेसर
2. किशनलाल पिता रामलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेवलिया कलां तहसील भदेसर .....वादीगण

।। बनाम ।।

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ .....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,188 राज.काश्त. अधिनियम

उपस्थित - श्री फारूख मोहम्मद वकील वादीगण

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अंतर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा0दी0 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ग्राम रेवलिया खुर्द प0ह0 रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर में स्थित साबिक खाता संख्या 42 में अंकित आराजी नम्बर 108/4 रकबा 5 बीघा स्थित है जिस पर खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। पूर्व में उक्त आराजीयात वादीगण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से बतौर खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

यह कि भू-प्रबंध कर्मचारियो द्वारा वर्ष 2010-2011 भू-प्रबंध की कार्यवाही के दौरान वादीगण की साबिक आराजी नं. 108/4 रकबा 5 बीघा को वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं कर बिलानाम काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी गई है। भूप्रबंध अधिकारियो को वादीगण की आराजीयात को बिलानाम

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

करने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबंध के कर्मचारियो ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जा कर आराजीयात को बिलानाम घोषित कर दी जिसको पुनः वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाने हेतु वादीगण की ओर वाद पत्र घोषणात्मक डिक्री पेश है।

यहकि वादीगण ने विवादित आराजीयात सेटलमेंट से पूर्व पंजीकृत बहनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया व भू प्रबंध के पूर्व ही उक्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी मे जरिये नामांतरकरण की जा चुकी थी, ऐसी स्थिति में भू प्रबंध अधिकारियों ने खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कर नवीन आराजी नम्बर 192, 193, 207, 194, 195, 196, 197, 198, 199 कायम कर वादीगण की साबिक आराजीयात को उक्त नम्बरो में शामिल कर देये जाने का कोई हक अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबंध अधिकारियो ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज आराजीयात का बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जबकि वादीगण खरीद दिनांक से खरीदशुदा आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, जिससे वादीगण उक्त आराजीयात को पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी होने से वाद पत्र वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है।

वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण भूप्रबंध से पूर्व काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन भू प्रबंध अधिकारियो की त्रुटि से उपरोक्त नम्बरान वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज होने से प्रतिवादीगण जो कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, वादीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल कर उनके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने पर आमादा हो रहे है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात से वादीगण को बेदखल नहीं करे ना हि शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी करे ना हि ऐसा कृत्य किसी नौकर एजेंट आदि से करावे।

यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दि. का नोटिस देना आवश्यक होता है परंतु प्रतिवादीगण ने वादीगण की खालेदारी आराजीयात से बेदखल करने पर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

मादा हो रहे है ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र वश्यक प्रकृति को होने से बिना नोटिस दिये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा जिसके लिये धारा 80(2) जा.दि. का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र अलग से श किया है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की क्री पारित फरमाई जावे कि–

क– वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि साबिक आराजी नम्बर 08/4 रकबा 5 बीघा भूमि जो वादीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी जिसको सेटलमेंट के दोरान बिलानाम सरकार दर्ज कर दी है को पुनः वादीगण के नाम घोषित की जाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जाकर इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे।

ख– प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल नहीं करे ना हि शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी करे ना हि ऐसा कृत्य किसी अन्य आदि से करावे। विवादित आराजीयाल किसी अन्य को आवंटन नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार उपस्थित।

तहसीलदार भदेसर को मौका कमीश्नर नियुक्त कर कमीश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जिस पर तहसीलदार भदेसर के पत्र क्रमांक/राजस्व /2022/117 दिनांक 31.01.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, रिपोर्ट अनुसार ग्राम रेवलिया खुर्द प0ह0 रेवलिया खुर्द की वर्तमान आराजी नम्बर 207 रकबा 1.01 हैक्टेयर का मौका देखा गया। उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 207 पर किशनलाल सोहनलाल पिता रामलाल ब्राहमण का कब्जा होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड थी परंतु सेटलमेंट के बाद उक्त खातेदार का नाम जमाबंदी रोटेशन से गायब कर उक्त आराजी को बिलानाम दर्ज कर दिया।

लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण भूप्रबंध से पहले से ही काबिंज होकर काश्त उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

पभोग कर रहा है। भूप्रबंध द्वारा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात को बिना किसी सक्षम आदेश के बिलानाम दर्ज कर दिया जिसे पुनः वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपरान्त अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर न्यायालय वादीगण के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है,वकील वादीगण के कथन से सहमत है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन,प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट के आलोक में वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कृषि आराजीयात मौजा ग्राम रेवलिया खुर्द प०ह० रेवलिया खुर्द के साबिक आराजी नम्बर 108/4 रकबा 5 बीघा भूमि सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी परंतु सेटलमेंट के बाद वादीगण की उक्त आराजीयात को भू प्रबंध अधिकारियों ने बिलानाम सरकार दर्ज करते हुए वादीगण का नाम विलोपित कर दिया। वर्तमान में वादीगण नवीन आराजी नम्बर 207 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि पर साबिक रेकार्ड अनुसार काबिज होकर काश्त उपयोग उपभोग कर रहे है। अतः वादीगण के ग्राम रेवलिया खुर्द प०ह० रेवलिया खुर्द के आराजी नम्बर 207 रकबा 1.01 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,